


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री ओम प्रकाश, तत्कालीन वरिष्ठ अध्यापक (अग्रेजी) राउमावि, खादरा पं०स० नीमकाथाना जिला सीकर वर्तमान प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कांथली पं०स० पाटन जिला सीकर जन्म तिथि 01.12.1966 वरिष्ठ अध्यापक (अग्रेजी) पद के वरिष्ठता क्रमांक 2233/1996-97 को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24 (2)ए ग्रुप-एफ के अनुरूप प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष पद की वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध अयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभा के अनुसार चयनोपरान्त कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/प्रअ/डीपीसी-2019-20/2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा पदस्थापन राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कांथली पं०स० पाटन जिला सीकर में किया गया था।

उक्त आदेशों की पालना में श्री ओम प्रकाश ने दिनांक 05.02.2021 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कांथली पं०स० पाटन जिला सीकर में कार्यग्रहण किया। श्री ओम प्रकाश की स्वयं की प्रार्थना पर इनकी परिस्थितियों के कारण प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कांथली पं०स० पाटन जिला सीकर के पद से पदावत कर पुनः वरिष्ठ अध्यापक (अग्रेजी) के पद पर पदस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-3/ओमप्रकाश/2021 /6

दिनांक : 17/21

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग, चूरु को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश का पदस्थापन वरिष्ठ अध्यापक (अग्रेजी) के रिक्त पद पर कर अवगत करावें।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा, सीकर
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, पाटन जिला सीकर को भेजकर कर निर्देशित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश के पदोन्नति उपरान्त प्रधानाध्यापक पद पर किये गये वेतन निर्धारण को पुनः संशोधित कर उक्त आदेश का इन्द्राज उनकी सेवापुस्तिका में लाल स्याही से करें।
5. प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कांथली पं०स० पाटन जिला सीकर
6. श्री ओम प्रकाश, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कांथली पं०स० पाटन जिला सीकर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठ अध्यापक (अग्रेजी) के पद पर पदस्थापन आदेश जारी होने तक यथावत कार्यरत रहेंगे।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत
8. अनुभाग अधिकारी डीपीसी अनुभाग।
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री कैलाश चन्द्र मीना, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चांदराना जिला दौसा को जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, दौसा के पत्रांक जिशिअ/मा/मु/दौसा/जांच/2021/8122 दिनांक 02.03.2021 के क्रम में श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री कल्याण सहाय, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चांदराना जिला दौसा के प्रशैक्षिक दस्तावेजों की जांच हेतु दिनांक 25.03.2021 से 27.03.2021 तक अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) राज्य से बाहर यात्रा करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


इन्हे नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर
दिनांक : 17/03/21

क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/ए-3/विविध/2021/7

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा
2. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चांदराना जिला दौसा
3. श्री कैलाश चन्द्र मीना, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चांदराना जिला दौसा
4. निजी पंजिका


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर